कार्यालय अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आदेशॉक–वा0क0अधि0 / यु0पीठ निरस्त / / 2024 दि0 लखनऊः 04 **जनवरी, 2024**

–:: संशोधित आदेश ::–

मुख्यालय के आदेशॉक 1519 / 2023 दिनांक 30–11–2023 के द्वारा जनपद झांसी में युगलपीठ का गठन **दिनांक 08–01–2024 से 11–01–2024** तक करते हुए, युगलपीठ के सदस्य के रूप में न्यायिक सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ– झॉसी एवं सदस्य, वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, इलाहाबाद को नामित किया गया था।

सदस्य पीठ–2, इलाहाबाद के पत्र संख्या–01 दिनांक 03–01–2024 द्वारा अवगत कराया गया है कि उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वह उक्त अवधि **दिनांक 08–01–2024 से 11–01–2024** तक जनपद–झांसी में गठित युगलपीठ में भाग लेने में असमर्थ हैं। अतः उन्हें उक्त युगलपीठ में सम्मिलित होने से मुक्ति प्रदान कर दी जाये।

अतः उपरोक्त अपरिहार्य परिस्थितियों में सम्यक रूप से विचार करते हुए पूर्व निर्गत उक्त आदेश सं0 1519 / 2023 दिनांक 30–11–2023 को आंशिक रूप में संशोधित करते हुए जनपद–झांसी में **दिनांक 08–01–2024 से 11–01–2024** तक गठित युगलपीठ, तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाती है।

तदनुसार सम्बन्धित कार्यालय / अधिकारियों को सूचित किया जाये।

ह0–04–01–2024,
(रणधीर सिंह)
एच0जे0एस0
अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन संख्या–वा0क0अधि0 / यु0पी0 निरस्त / 08 **/ 2024 दिनांक ::यथोक्त।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कर्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, झांसी पीठ–झांसी।

2– सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण, पीठ–2, इलाहाबाद।

3– मुन्सरिम / पेशकार / वरिष्ठ सहायक (यात्राभत्ता) / विवरण / कम्प्यूटर / वेव अधिकारी / नाजिर, मुख्यालय।

4– संबंधित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष / सचिव द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

निबन्धक,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।